उदारीकरण का अर्थ (Liberalization) → उदारीकरण से तात्पर्य नियमों या कानूनों पर सरकारी संस्था के नियंत्रण से पूर्ण या आंशिक शिथिलता से है। उदारीकरण वस्तुतः राज्य के अधिकार क्षेत्र को सीमित करके व्यक्ति, संस्था या अभिकरणों को राज्य की सत्ता से मुक्त कराता है। अर्थात उदारवादी दृष्टिकोण से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या नैतिक हस्क्षेप से स्वतंत्रता का भाव निहित रहता है। यह समाज के स्थान पर समान उद्देश्य व्यक्तियों के प्रति आस्था व प्रतिबद्धता वाली नीतियों का पोषक होता है। उदारवाद ने ही सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी व्यवस्था का खण्डन करने का साहस किया। सामाजिक क्षेत्र में इसने धर्म निरपेक्षता को पोषित करने व जाति व्यवस्था का खण्डन किया है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है तथा राजनैतिक क्षेत्र में यह संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करता है। शिक्षा के अर्थ व स्वरूप के साथ-2 शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम व विधियों को एक सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण से अभिप्राय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन में एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण में उदार दृष्टिकोण अपना कर उन्हें रूढ़ सरकारी लाल-फीताशाही से बचाना है। उदारीकरण को शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में एक ऐसा सकारात्मक प्रयास माना जाता है जो शिक्षा व्यवस्था को रूढ़िवादी दृष्टिकोण से छुटकारा दिलाकर वंचित वर्गों, महिलाओं, निर्धनों आदि सहित अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की

Scanned with CamScanner

अपेक्षा से युक्त है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, सम्प्रेषण संसाधनों का विपुल प्रयोग तथा छात्र केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में आयी उदारीकरण प्रवृत्ति का परिणाम कहा जा सकता है।

उदारीकरण के उदर में रोजगार श्रमिक असंतोष →

सरकार का राजनीतिक नारा था कि उदारीकरण और निजीकरण की नितियों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जायेगी, परन्तु इसका परिणाम उल्टा ही निकला। उदाहरण अब नीतियों के उदर में रोजगार पूर्णतः समा चुका है। देश के रोजगार कार्यालयों में मैले रजिस्टर में उदारीकरण के पहले यानी 31 दिसम्बर 1990 को 2 करोड़ 11 लाख लोगों के नाम दर्ज थे, जो दिसम्बर 2000 में बढ़कर 4 करोड़ 13 लाख हो गये जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुताबित पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर औसतन करीब 2 प्रतिशत सलाना होगी। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1997 से 2002 के बीच श्रम शक्ति में 2.5 प्रतिशत की दर से सालाना वृद्धि हुई। परन्तु रोजगार में वृद्धि दर बेशक इससे कम है। सन् 1991-92 से 2000-01 के बीच औसतन वार्षिक सकल विकास दर 5.8 प्रतिशत रही, परन्तु संगठित क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की दर पिछले 9 सालों में अर्थात 1991-99 के बीच औसत 0.83 प्रतिशत रह गयी और इसमें लगातार गिरावट आ रही है यह दर 1996 के 1.51 प्रतिशत से गिरकर 1997 में 1.09, 1998 में 0.46 और 1999 में 0.04 प्रतिशत रह गयी।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 की विशेषताएँ →

① शिक्षा का स्वरूप → नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश के समस्त राज्यों में पाठ्यक्रम का तीन चौथाई या 75% भाग एक समान होना चाहिए, शेष 25% भाग में विभिन्न राज्य अपनी-2 आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न बातें समाविष्ट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में इस प्रकार की इस प्रकार की समानता लाने का उद्देश्य सभी छात्रों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के समान सांस्कृतिक धरोहर तथा राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक का ज्ञान कराना है।

② स्व क्रिया एवं स्व-अनुभव द्वारा सीखने पर बल → छात्रों को स्वक्रिया तथा स्वअनुभव द्वारा सीखने पर अधिक ध्यान दें और इस प्रकार वातावरण तैयार करें कि वे स्वयं सीखने के लिए उत्प्रेरित हों। उन्हें पढ़ने के लिए आधुनिकतम पुस्तकें प्रदान की जायें ताकि वे पढ़ने में स्वयं रूचि लें और जीवन में उपयोग आने वाले ज्ञान को अधिक से अधिक अर्जित करें।

③ नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना → नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि यदि नौकरी हेतु डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाय तो नवयुवकों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर डिग्री लेने की इच्छा स्वयं समाप्त हो जायेगी। विकसित देशों में नौकरी के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं है।

Scanned with CamScanner

(4) शिक्षा का व्यवसायिकरण → नई शिक्षा नीति में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बालक का जीवन सुखी हो इसके लिए उसकी रुचि के अनुसार उसे किसी कौशल में प्रशिक्षित कर देना चाहिए। इस दृष्टि को सामने रखते हुए शिक्षा नीति द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को स्थान दिया जाये। व्यवसायिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दृष्टि से नई शिक्षा-नीति में स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 10वीं में प्रायः 50% छात्रों को ही साहित्यिक विषय चुनने दिये जायें। शेष 50% छात्रों को व्यवसायीकरण विषयों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। शिक्षा के इस व्यवसायीकरण विषय से बेरोजगारी कम होगा और व्यक्ति केवल नौकरी पर ही निर्भर न रहकर किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपने अर्जित कौशल का सदुपयोग करेगा।

(5) नैतिक मूल्यों का महत्व → नई शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया गया है। स्वस्थ नैतिकता के विकास से व्यक्ति 'भाग्यवाद' के स्थान पर अपने कर्म पर विश्वास करेगा। समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा एक सशक्त साधन है। अतः किसी भी विषय के अध्ययन में जहाँ कहीं भी सम्भव हो नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(6) परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल → नई शिक्षा नीति में परीक्षा प्रणाली के सुधार पर जोर दिया गया है। इसके लिए श्रेणी के स्थान पर ग्रेड देने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में

Scanned with CamScanner

45 या 48 प्रतिशत अंक पाने वाले को द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाती है और 60 प्रतिशत या इससे ऊपर अंक पाने वाले को प्रथम श्रेणी दी जाती है। ऐसी स्थिति में 45 या 47 प्रतिशत अंक पाने वाले तथा 59 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र सोचकर चिन्तित हो जाते हैं। इस चिन्तनीय स्थिति से बचने के लिए नई शिक्षा नीति में ग्रेड देने की पद्धति अधिक उचित समझी गयी।

③ सदैव चलने वाले प्राथमिक विद्यालय → नई शिक्षा नीति में प्रत्येक विद्यालय वर्ष में पूरे 12 माह खुले रहने का विचार प्रस्तुत किया गया है। इससे बच्चों को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कमरे तथा दो अध्यापक होंगे जिनमें से एक महिला अध्यापक होना अनिवार्य है।

④ खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना → नई शिक्षा नीति में उन लोगों के लिए खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया है जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके हैं और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। खुले विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार कोई भी अपनी गति से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किसी भी परीक्षा के अंशों को कई प्रयत्नों से पास कर सकता है।

Scanned with CamScanner

(9) पिछड़े वर्गों की शिक्षा → नई शिक्षा-नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, महिलाओं आदि की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए इनका अधिकतम विकास आवश्यक समझा गया है। इस दृष्टि से उनके लिए शिक्षा संस्थाओं में विशेष स्थान, 'सुरक्षित' रखने पर ध्यान दिया गया है।

(10) महिला शिक्षा → नई शिक्षा नीति में देश भर में महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से महिलाओं के मध्य किसी भी प्रकार की असमानता कम करने हेतु सुझाव प्रदान किया गया है। पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य किसी भी प्रकार की असमानता कम करने हेतु प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समुचित स्थान देने का सुझाव दिया गया है।

(11) आपरेशन ब्लैक बोर्ड → नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के द्रुत गति से प्रचार एवं प्रसार हेतु 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसका अर्थ है शैक्षिक संसाधनों एवं उपकरणों का न्यूनतम प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल को कम से कम दो बड़े कमरे, कुछ आवश्यक चार्ट एवं मानचित्र, श्यामपट्ट, टाट पट्टी एवं अन्य उपयोगी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned with CamScanner